

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

63वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी (छात्र-छात्रा) प्रतियोगिता (सत्र 2018-19) के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जा रहा है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को शीघ्रातिशीघ्र प्रसारित करें।

विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु खेल समूह बनाये गये हैं जो निम्न प्रकार है:-

प्रथम समूह			द्वितीय समूह		
कबड्डी	14 वर्ष	छात्र-छात्रा	हॉकी	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
खो-खो	14 वर्ष	छात्र-छात्रा	हैण्डबाल	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
बैडमिण्टन	14 वर्ष	छात्र-छात्रा	फुटबाल	14 वर्ष	छात्र
सॉफ्टबाल	14 वर्ष	छात्र-छात्रा	जिम्नास्टिक	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
कुश्ती	14 वर्ष	छात्र-छात्रा	तैराकी	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
वालीबाल	14 वर्ष	छात्र-छात्रा	बास्केटबाल	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
टेबल टेनिस	14 वर्ष	छात्र-छात्रा	लॉन टेनिस	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
जूडो	14 वर्ष	छात्र-छात्रा	क्रिकेट	14 वर्ष	छात्र

## तृतीय समूह

एथलेटिक्स	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
-----------	---------	--------------

प्रतियोगिताएं निम्न तिथियों के अनुसार आयोजित की जावेगी :-

समूह	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम समूह	16 अगस्त से पूर्व	01.09.2018 से 05.09.2018 (अधिकतम 04 दिन)	13.09.2018 से 18.09.2018
द्वितीय समूह	16 अगस्त से पूर्व	05.09.2018 से 09.09.2018 (अधिकतम 04 दिन)	22.09.2018 से 27.09.2018
तृतीय समूह	16 अगस्त से पूर्व	03.10.2018 से 07.10.2018 (अधिकतम 04 दिन)	20.10.2018 से 25.10.2018

प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताएं दिनांक 25.09.2018 से 27.09.2018 तक केवल जिला स्तर पर मार्गदर्शिका के अनुसार आयोजित की जावेगी। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां कार्यक्रम विद्यालय/क्षेत्रिय/जिला स्तर तक का आयोजन विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका, 2009-10 के अनुसार जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित करवायें।

**नोट:-** उक्त जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से पूर्व ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं आवश्यकतानुसार आयोजित करवायी जावें। ये प्रतियोगिताएं दिनांक 22.09.2018 से 24.09.2018 तक आयोजित करें।

सत्र 2018-19 की राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक (14 वर्ष आयुवर्ग) विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजक विद्यालयों के नाम एवं स्थान परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सत्र 2018-19 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु प्रारंभिक शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009-10 में निर्दिष्ट नियमों एवं निर्देशों के अनुसार आयोजित होगी।

सत्र 2018-2019 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु निर्माकित निर्देश प्रसारित किये जाते है:-

01- सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों के मध्य टीमों की संख्या के आधार पर न्यूनतम दिनों का कार्यक्रम तय कर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें परन्तु क्षेत्रिय प्रतियोगिता आवश्यकतानुसार विद्यालयी स्तर की प्रतियोगिता के पश्चात् एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित करावें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं निर्धारित तिथियों एवं स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी। तिथियों एवं प्रतियोगिताओं के स्थलो में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा।

02- प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्राज डालने) की सुविधा हेतु सत्र 2017-18 की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के परिणाम परिशिष्ट-2 पर संलग्न किये जा रहे है।

03- सत्र 2018-19 की छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभिक शिक्षा विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009-10 एवं उसके पश्चात् जारी संशोधन परिवर्तन में दर्शाये गये नियमों, निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे।

04- विशेष विद्यालय जैसे सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, वीकानेर सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यालय, खेल छात्रावास के विद्यालय, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित खेल छात्रावास एवं उनके द्वारा अधिग्रहित विद्यालय संबंधित जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग न लेकर सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उक्त विशिष्ट विद्यालयों का दल बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि जो खिलाड़ी जिस खेल में इन विद्यालयों में प्रवेश लेता है वह अपने संबंधित खेल में ही भाग लेंगे। इन विद्यालयों के अन्य श्रेष्ठ खिलाड़ी अपरिहार्य कारणों से प्रतियोगिता में भाग न ले सके तो चयन समिति की अभिशंषा पर निर्धारित संख्या के अलावा इनका नाम पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु चयनित किया जाता है तो निर्धारित संख्या में सम्मिलित होंगे। विशिष्ट विद्यालयों के खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर अपने प्रशिक्षक एवं प्रधानाचार्य की अभिशंषा पर चयन परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।

05- निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में अगर सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त विद्यालय भाग लेते हैं तो उन्हें निर्धारित प्रतियोगिता शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। उक्त विद्यालयों के खिलाड़ी/ छात्र-छात्रा के चयन पूर्व राज्य/राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं चयन परीक्षण के लिये होता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा अन्यथा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी वर्ष की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

06 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प0 15(1)शिक्षा-6/99 जयपुर दिनांक 27-9-99 के अनुसार संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निहित प्रवेशिका एवं उपाध्याय छात्र-छात्रा खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं पूर्व व्यवस्थानुसार संस्कृत विभाग द्वारा पृथक से आयोजित करवाई जावेगी।

07- टेबल-टेनिस की प्रतियोगिताएं न्यू स्वेथलिंग कप के आधार पर आयोजित होगी। टेबल-टेनिस एवं बैडमिण्टन में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु दलीय स्पर्द्धा के क्वाटर फाईनल में पहुंचने वाले दलों के तीन-तीन खिलाड़ी एवं सेमीफाईनल में पहुंचने वाले दलों के पांचों खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्द्धा में भाग ले सकेंगे। अन्य दलों से पूर्व की भांति एक ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्द्धा में भाग ले सकेगा। व्यक्तिगत स्पर्द्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाड़ियों को सीडिंग दी



जावे। झाज दलीय स्पर्द्धा में सेमीफाईनल पहुंचने वाले दलों का निर्धारण होने के बाद डाली जावे। क्वाटर फाईनल एवं सेमीफाईनल में पहुंचने वाले दलों के खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिये जावे। उसके बाद सीडिंग देकर झाज डालते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि सेमीफाईनल पहुंचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमीफाईनल से पहले मैच न हो सके।

08- निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/08-11/124 दिनांक 15.06.2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग विद्यालयी क्रीडा प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009-10 के पृष्ठ 24 पर उल्लेखित नियम 10.3.5 में दर्शाये गये खेलों में विजेता दल के अधिकतम संख्या में चयन को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है। सत्र 2014-15 से जिला स्तरीय खेल दल का गठन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु खुली चयन प्रणाली से किया जायेगा। शेष नियम यथावत रहेंगे। एथलेटिक्स, तैराकी, कुश्ती, जूडो तथा जिम्नास्टिक व्यक्तिगत स्पर्द्धा के खेल हैं। एथलेटिक्स व तैराकी में छात्र-छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्द्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय व रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, कुश्ती व जूडो के प्रत्येक भार में प्रथम आने वाला व जिम्नास्टिक में कुल अंको के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी वरीयतानुसार निर्धारित संख्या में राज्य स्तर पर भाग लेंगे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, शिविर संचालक, टीम प्रभारी एवं चयन समिति का होगा। मानदण्ड पूरा न करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने/मैरिट प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा।

09- राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिले के चयनित खिलाड़ियों का विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/2008-10/85 दिनांक 10.5.2010 के अनुसार मेडिकल परीक्षण करवाने के पश्चात मेडिकल प्रमाण-पत्र सहित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु टीम भेजने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा का होगा।

10- जिला स्तरीय चयन पश्चात् राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व तीन दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा। यह आवासीय प्रशिक्षण शिविर जिले की विजेता टीम के विद्यालय में लगाया जायेगा। अन्य परिस्थितियों में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अपने स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का स्थल परिवर्तित कर सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर का वहन यथा यात्रा/दैनिक भत्ता आदि का वहन चयनित खिलाड़ियों के विद्यालय द्वारा अपने स्तर पर छात्र कोष से वहन किया जावेगा।

11- खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण-पत्रों की संबंधित शारीरिक शिक्षक/अध्यापक व संस्था प्रधान भली-भांति जाँच कर प्रवेश रजिस्टर से मिलान करें, यथा छात्र की जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, कक्षा, प्रवेश क्रमांक मिलान करने के पश्चात ही संस्था प्रधान योग्यता प्रमाण-पत्र प्रमाणित करें। विभिन्न स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों द्वारा भाग लेने/मैरिट प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर तैयार किये जाते हैं। अतः बाद में इन प्रमाण-पत्रों में दर्शाई गई जन्मतिथि व नाम आदि में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

12- योग्यता प्रमाण-पत्र में विद्यालय का पूर्ण पता अंकित होना अनिवार्य है ताकि पत्र प्रेषण में कठिनाई न हो।

13- राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजक संस्था प्रधान समस्त प्रकार के प्रतियोगिता अभिलेखों की एक प्रति अपने विद्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकतानुसार चाही गई सूचना संस्था विद्यालय अभिलेख से मिलान करके दे सकें।

14- जिलों की टीम के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षकों को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो संबंधित शारीरिक शिक्षक खेल भावना का परिचय देते हुए निर्णायक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।



15 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन पश्चात् अपने जिले की समस्त खेलों की प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से निम्न प्रपत्र में भिजवावें :-

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रतियोगिता स्थल का नाम	प्रतियोगिता अवधि	प्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित)	संभागी खिलाड़ी संख्या	कुल खिलाड़ी संख्या	निर्णायकों की संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

16 जिला एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संभागीत्व एवं मैरिट प्रमाण-पत्र प्रतियोगिता स्थल पर ही खिलाड़ी को अनिवार्यतः वितरित किये जावें। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा इसकी सुनिश्चितता अवश्य करें। उक्त प्रमाण-पत्र खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण-पत्र की फोटो से मिलान करने के पश्चात् प्रतिपत्र पर खिलाड़ी के हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावे। मैरिट प्रमाण-पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को ही दिया जावे। व्यक्तिगत एवं दलीय स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मैरिट प्रमाण-पत्र दिये जावें। कुश्ती एवं जूडो में सेमीफाइनल में रेपीचार्ज पद्धति होने से सेमीफाइनल में हारने (बाउट हारने) वाले प्रतियोगी को तृतीय स्थान का मैरिट प्रमाण-पत्र देय होगा।

17. सभी स्तर के खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्रा टीम के साथ महिला शारीरिक शिक्षिका/अध्यापिका को ही भेजा जावे।

18. एथलेटिक्स, जूडो, कुश्ती एवं तैराकी में राष्ट्रीय विद्यालयी खेलों में आयोजित स्पर्धाओं के अनुरूप ही जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में इनकी स्पर्धाएं करवायी जावे। इस हेतु निर्धारित स्पर्धाएं एवं मानदण्ड इस खेल पंचांग में आगे दर्शाये गये हैं। तदनुसार प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जावे।

19. सत्र 2010-11 में कबड्डी खेल विद्या की क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं स्कूल मेम्स फौंडेशन ऑफ इण्डिया के संशोधित नियमों एवं निर्देशों के अनुसार आयोजित होगी जो सभी उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/खेकू / स्वाशि/7551/2008-09/ दिनांक 16.07.2010 के द्वारा पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।

20. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात् निदेशालय भेजा जाने वाला समस्त रिकार्ड कम्प्युटराइज करवाकर अनिवार्य रूप से 15 दिवस में वाहक स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

21. प्रतियोगिता में परिवाद प्रस्तुत होने पर सक्षम जिला/राज्य स्तरीय परिवाद समिति द्वारा यथा समय निर्णय दिया जाये। निदेशालय को परिवाद प्रकरण नहीं भेजें। इसे गम्भीरता से लें।

**नोट:-**

01- जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स/तैराकी/कुश्ती/टेबल-टेनिस/ बैडमिण्टन एवं जिम्नास्टिक सहित सभी खेलों में चयन समिति नियुक्त की जावे।

02- राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में आवश्यकतानुसार निर्णायक निदेशालय द्वारा पूर्व की भांति लगाये जायेंगे।

03- चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो चयन समिति बनाई जावेगी वह प्रतियोगिता स्थल पर चयनित खिलाड़ी घोषित न करके पूर्ण रूप से गोपनीयता रखते हुए बन्द लिफाफे में निदेशालय को वाहक के साथ भेजेंगे। डाक द्वारा प्रतियोगिता संबंधी रिकार्ड नहीं भिजवाये, इसकी कठोरता से पालना की जावे।

04- राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु बनाई जाने वाली सूची में चयन समिति की नजर में यदि कोई खिलाड़ी 14 वर्ष से अधिक का प्रतीत होता हो तो उसका चयन नहीं करें। प्रतिवाद की स्थिति में संयोजक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उस खिलाड़ी की मेडिकल जांच करवाये।

05- क्रिकेट छात्र 14 वर्ष की प्रतियोगिता में नॉक आउट पद्धति द्वारा खेले जावेगी, प्रत्येक मैच 20 ओवर का होगा एवं सेमीफाइनल व फाइनल 25-25 ओवर के होंगे। प्रतियोगिता संचालन एम0सी0सी0 के नियमानुसार होगा।

06- प्रायः यह देखने में आया है कि जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान अत्याधिक मात्रा में सामान्य अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों की प्रतिनियुक्तियां कर दी जाती हैं जिससे राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है। अतः आवश्यकतानुसार ही प्रतिनियुक्तियां की जावे। यथा संभव स्थानीय कार्मिकों की सेवारे ली जावे।

07- प्रत्येक विद्यालय को जिला स्तर पर कम से कम एक खेल में भाग लेना अनिवार्य है। यदि जिले का कोई विद्यालय खेलों में भाग नहीं लेता है तो उस विद्यालय के शारीरिक शिक्षक/प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

08- इस कार्यालय द्वारा प्रसारित शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं साहित्यिक/सांस्कृतिक प्रवृत्तियां नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009-10 में उल्लेखित नियम-09 (9.1.1 से 9.1.1.4.2) खिलाड़ी पात्रता नियम, चेक लिस्ट एवं पात्रता योग्यता प्रमाण-पत्र सत्र 2018-19 में होने वाली क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र-छात्रा खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभागी खिलाड़ियों के पात्रता नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाता है :-

क्र. सं.	नियमावली नियम संख्या	नियम पृ0संख्या	संशोधन/परिवर्तन
01	2009-10	19-21	01-कक्षा 03 से 05 तक के छात्र-छात्रा जिला/राज्य स्तर तक पूर्व की भौति भाग ले सकेंगे, लेकिन कक्षा 06 से नीचे की कक्षा के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे, कक्षा 06 से ऊपर की कक्षा के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी। 02- 14 वर्ष छात्र-छात्रा प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर) में खिलाड़ी की आयु प्रमाण-पत्र हेतु निम्नांकित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं :- 01- आधार कार्ड / पासपोर्ट (दोनों में से एक) 02- जन्म प्रमाण-पत्र (पं.स./नगर पालिका/नगर निगम द्वारा जारी) 03- गत वर्ष की उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से कोई दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उसको सम्बद्ध प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग लेने के लिए अपात्र किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होगा।
02	2009-10	19-21	किसी भी कक्षा में दो वर्ष से अनुत्तीर्ण/ठहराव वाले छात्र-छात्रा किसी भी विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

09- उपरोक्तानुसार समस्त संशोधन तथा शेष नियम निर्देश यथावत के साथ राज्यस्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 14 वर्ष छात्र-छात्रा सत्र 2018-2019 के आयोजक विद्यालयों के नाम व स्थान निम्नानुसार है :-

# परिशिष्ट - [1]

(प्रथम समूह:- 13.09.2018 से 18.09.2018)

क्र.सं.	खेल का नाम	छात्र-छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	कबड्डी	छात्र-छात्रा	राउप्रावि, रायण, ऋषभदेव (उदयपुर)
2.	खो-खो	छात्र-छात्रा	राबाउप्रावि, हेमड़ा पं.स. सुनेल, (झालावाड़)
3.	बैडमिण्टन	छात्र-छात्रा	राउप्रावि, अलवर गेट, अजमेर
4.	सॉफ्टबॉल	छात्र-छात्रा	राउप्रावि, औद्योगिक क्षेत्र, रानीबाजार, बीकानेर
5.	कुश्ती	छात्र	राउप्रावि, श्रीनाथपुरम, कोटा शहर
6.	वॉलीबाल	छात्र-छात्रा	राउप्रावि, आलेड़ी पं.स. शाहपुरा (जयपुर)
7.	टेबल टेनिस	छात्र-छात्रा	राउमावि, मण्डार तह0रेवदर (सिरोही)
8.	जूडो	छात्र-छात्रा	राउप्रावि, श्रीनाथपुरम कोटा शहर

(द्वितीय समूह:- 22.09.2018 से 27.09.2018)

क्र.सं.	खेल का नाम	छात्र-छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	हॉकी	छात्र-छात्रा	श्री जी0आर0जी0 उप्रा इन्टरनेशनल स्कूल, महिंग चौराहा, लक्ष्मणपुरा धौलासर, लोहावट, फलौदी (जोधपुर)
2.	हैण्डबॉल	छात्र-छात्रा	राबाउप्रावि, गाँधी कन्या धौलपुर
3.	फुटबॉल	छात्र	राउप्रावि, नं0 07 भोईवाडा, डूंगरपुर
4.	जिनमास्टिक	छात्र-छात्रा	सेवन स्टार कन्वेन्ट स्कूल, मौलासर, नागौर
5.	तैराकी	छात्र-छात्रा	प्रिन्स एकेडमी पालवास रोड, सीकर
6.	बास्केटबॉल	छात्र-छात्रा	राउप्रावि, हरसहाय कटला, सवाईमाधोपुर
7.	लॉन-टेनिस	छात्र-छात्रा	राउप्रावि, खेतानाडी, जोधपुर
8.	क्रिकेट	छात्र	राउप्रावि, सिटी नं0 03 टोंक

(तृतीय समूह :- 20.10.2018 से 25.10.2018)

क्र.सं.	खेल का नाम	छात्र-छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	एथलेटिक्स	छात्र-छात्रा	राउप्रावि संजयनगर, नवीन कोटा शहर



(तैराकी के निर्धारित इवेन्ट एवं मानदण्ड(एसजीएफआई द्वारा समय-समय पर जारी नवीनतम मापदण्ड मान्य होंगे )

क्र. सं.	नाम इवेन्ट्स	मानदण्ड(छात्र)	मानदण्ड(छात्रा)
1	फ्री स्टाईल 50 मीटर	0.45 मिनट	0.50 मिनट
2.	बटर फ्लाय 50 मीटर	0.50 मिनट	0.55 मिनट
3.	बेस्ट स्ट्रॉक 50 मीटर	0.50 मिनट	0.55 मिनट
4.	बैक स्ट्रॉक 50 मीटर	0.45 मिनट	0.50 मिनट
5.	फ्री स्टाईल 100 मीटर	1.45 मिनट	2.35 मिनट
6.	फ्री स्टाईल 200 मीटर	3.30 मिनट	5.30 मिनट
7.	व्यक्तिगत मैडले 200 मीटर	3.50 मिनट	6.45 मिनट
8.	बैक स्ट्रॉक 100 मीटर	2.00 मिनट	2.10 मिनट
9.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 100 मीटर	2.00 मिनट	2.30 मिनट
10.	बैक स्ट्रॉक 200 मीटर	4.00 मिनट	6.30 मिनट
11.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 200 मीटर	4.50 मिनट	6.40 मिनट
12.	बटर फ्लाय 100 मीटर	1.50 मिनट	2.10 मिनट
13.	फ्री स्टाईल 4गुणा 100 मीटर	9.45 मिनट	12.00 मिनट
14.	मेडले रिले 4गुणा 100 मीटर	10.00 मिनट	12.00 मिनट

(एथलेटिक्स के निर्धारित इवेन्ट एवं मानदण्ड ( एसजीएफआई द्वारा समय-समय पर जारी नवीनतम मापदण्ड मान्य होंगे )

क्र. सं.	नाम इवेन्ट्स	मानदण्ड (छात्र)	मानदण्ड (छात्रा)
1.	100 मीटर दौड़	13.50 सैकेण्ड	15.00 सैकेण्ड
2.	200 मीटर दौड़	29.00 सैकेण्ड	34.00 सैकेण्ड
3.	400 मीटर दौड़	1.00 मिनट	1.15 मिनट
4.	600 मीटर दौड़	1.40 मिनट	1.55 मिनट
5.	80 मीटर बाधा दौड़	15 .00 सैकेण्ड	17.00 सैकेण्ड
6.	ऊँची कूद	1.40 मीटर	1.15 मीटर
7.	लम्बी कूद	5.00 मीटर	4.00 मीटर
8.	गोला फेंक(4 किलो)	10.00 मीटर	7.00 मीटर
9.	तश्तरी फेंक(1 किलो)	28.00 मीटर	17.00 मीटर
10.	रिले दौड़ (4गुणा 100मीटर)	54.00 सैकेण्ड	1.50 सैकेण्ड


(कुश्ती (छात्र) एवं जूडो (छात्र-छात्रा) 14 वर्ष आयुवर्ग हेतु निर्धारित वजन)

क्र.सं.	कुश्ती	जूडो	
	छात्र	छात्र	छात्रा
1	32 किलो	25 किलो	23 किलो
2	35 किलो	30 किलो	27 किलो
3	38 किलो	35 किलो	32 किलो
4	41 किलो	40 किलो	36 किलो
5	45 किलो	45 किलो	40 किलो
6	49 किलो	50 किलो	44 किलो
7	55 किलो	50 किलो	44 किलो
8	60 किलो	-	-
	कुल वजन-8	कुल वजन-7	कुल वजन-7
	विजेता पहलवान वजन वार	वजन वार एक विजेता	वजन वार एक विजेता

सभी खेलों में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों रेल्वे कन्सेशन का लाभ लेते हुए जहाँ रेल्वे की आवगमन की सुविधाएं हैं उसी से ही यात्रा करें, जहाँ पर रेल की सुविधा नहीं है उसी स्थान के लिए बस की रियायती दर से यात्रा करें। विभाग द्वारा जहाँ रेल सुविधाएं हैं उसी अनुरूप कन्सेशन दर से किराया देय होगा।


सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा इन आदेशों को अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शीघ्रतिशीघ्र प्रसारित करें। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का स्थान निर्धारित अपने जिले का खेल पंचांग शीघ्र जारी कर अधीनस्थ विद्यालयों में प्रसारित कर इस कार्यालय को प्रति भिजवावें।

आशान्वित हूँ कि जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा।

  
 (श्याम सिंह राजपुरोहित)  
 आई.ए.एस  
 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा,  
 राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पंचाग/2018-19/199-206 दिनांक: 20/7/2018  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. सचिव, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार संस्कृत शिक्षा विद्यालयों की प्रतियोगिता पृथक से पूर्व व्यवस्थानुसार करवाई जावे।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को 11 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम को उपर्युक्त प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करावें।
8. समस्त उप निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा।
10. प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
11. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
12. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (निजी अनुभाग), बीकानेर।
13. सहायक निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जोधपुर/अलवर।
14. समस्त केन्द्राधिकक एवं संस्था प्रधान सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र।
15. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
16. समस्त संयोजक सचिव/संस्था प्रधान, आयोजक राज्य स्तरीय विद्यालयी प्रतियोगिता।
17. समस्त उप जिला शिक्षा अधिकारी (शाशि) सम्बन्ध कार्यालय, उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा।
18. समस्त संस्था प्रधान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये विद्यालय।
19. संस्था प्रधान खेल छात्रावास वोकेशनल मावि, कोटा/नूतन सीमावि, बांसवाड़ा।
20. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी(शाशि)  
 प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,  
 बीकानेर  
[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)



## परिशिष्ट-2

प्रथम आठ स्थानों की सूची छात्र सत्र 2017-2018

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम
1.	कबड्डी	श्रीगंगानगर	अलवर	हनुमानगढ़	नागौर	बाडमेर	जोधपुर	जैसलमेर	सीकर
2.	हॉकी	गंगानगर	अलवर	हनुमानगढ़	बाडमेर	उदयपुर	नागौर	जोधपुर	सांख्यिकी स्कूल बीकानेर
3.	हैण्डबॉल	श्रीगंगानगर	जोधपुर	सा0स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर	टोंक	सीकर	बाडमेर	भीलवाडा	कोटा
4.	फुटबॉल	कोटा	हनुमानगढ़	गंगानगर	अजमेर	जालौर	जयपुर	सीकर	जोधपुर
5.	टेबलटेनिस	जयपुर	जोधपुर	अलवर	उदयपुर	कोटा	टोंक	अजमेर	बीकानेर
6.	बॉलीबॉल	बीकानेर	सीकर	भीलवाडा	नागौर	हनुमानगढ़	झुंझुनू	बीकानेर	राजसमंद
7.	खो-खो	हनुमानगढ़	अलवर	नागौर	झुंझुनू	पाली	टोंक	श्रीगंगानगर	भीलवाडा
8.	बैडमिंटन दलीय	बीकानेर	जोधपुर	कोटा	गंगानगर	हनुमानगढ़	चित्तौड़गढ़	उदयपुर	भरतपुर
9.	बैडमिंटन एकल	---	---	---	---	---	---	---	---
10.	क्रिकेट	गंगानगर	कोटा	जोधपुर	भीलवाडा	बीकानेर	बाडमेर	सीकर	अजमेर
11.	बास्केटबॉल	सीकर	जैसलमेर	जयपुर	अजमेर	कोटा	गंगानगर	भीलवाडा	हनुमानगढ़
12.	जिम्नास्टिक	जोधपुर	अलवर	बीकानेर	नागौर	उदयपुर	अजमेर	भीलवाडा	जयपुर
13.	सॉपटबॉल	बीकानेर	जोधपुर	भरतपुर	भीलवाडा	झूँ	चित्तौड़गढ़	सीकर	झुंझुनू
14.	लॉन टेनिस दलीय	---	---	---	---	---	---	---	---

## परिशिष्ट-2

प्रथम आठ स्थानों की सूची छात्रा सत्र 2017-2018

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम
1.	कबड्डी	जयपुर	बाडमेर	हनुमानगढ़	नागौर	चित्तौड़गढ़	गंगानगर	उदयपुर	सीकर
2.	हॉकी	भीलवाडा	गंगानगर	सीकर	उदयपुर	नागौर	हनुमानगढ़	अजमेर	झूँ
3.	हैण्डबॉल	गंगानगर	सवाईमाधोपुर	टोंक	हनुमानगढ़	झूँ	बीकानेर	झुंझुनू	बाडमेर
4.	टेबलटेनिस दलीय	कोटा	बीकानेर	झूँ	अलवर	अजमेर	सीकर	झुंझुनू	भीलवाडा
5.	बॉलीबॉल	भीलवाडा	नागौर	झूँ	सीकर	गंगानगर	हनुमानगढ़	झुंझुनू	राजसमंद
6.	खो-खो	श्रीगंगानगर	सीकर	राजसमंद	जालौर	बीकानेर	उदयपुर	बाडमेर	भरतपुर
7.	बैडमिंटन दलीय	जयपुर	अलवर	जोधपुर	पाली	कोटा	उदयपुर	गंगानगर	बाडमेर
8.	बैडमिंटन एकल	---	---	---	---	---	---	---	---
9.	बास्केटबॉल	जयपुर	सीकर	भीलवाडा	हनुमानगढ़	अजमेर	कोटा	उदयपुर	बीकानेर
10.	जिम्नास्टिक	जोधपुर	उदयपुर	अलवर	अजमेर	नागौर	चित्तौड़गढ़	भीलवाडा	गंगानगर
11.	सॉपटबॉल	बीकानेर	अजमेर	जोधपुर	जालौर	उदयपुर	गंगानगर	भीलवाडा	हनुमानगढ़
12.	लॉन टेनिस दलीय	---	---	---	---	---	---	---	---

जिला शिक्षा अधिकारी (शा.श.)  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर